

प्रेषक,

श्रीधर बाबू अर्दवांकी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 184 / बजट / 2016

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव /  
समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त विभाग (बजट)

देहरादून : दिनांक 05 जनवरी, 2016

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 का आय-व्ययक (बजट) ससमय ऑन लाईन प्रेषित करने विषयक।**

महोदय,

कृपया सचिव, वित्त के पूर्व प्रेषित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1477/XXVII (1)/ 2015, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1514/XXVII (1)/ 2015, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 तथा पत्र संख्या 173/ बजट / 2015, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट कर, जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के निर्माण को ऑन लाईन किये जाने से सम्बन्धित है। उक्त पत्रों की प्रतियां budget.uk.gov.in में BUDGET LETTERS से डाउन लोड किया जा सकता है। बजट ऑन लाईन प्रेषित करने हेतु दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 से दिनांक 04 जनवरी, 2016 तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

उक्त के क्रम में राज्य का आय-व्ययक (बजट) निर्माण ऑन लाईन सम्पादित कर ससमय विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाना है। बजट निर्माण प्रक्रिया की गार्ड लाईन पूर्व में जारी की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 7 जनवरी, 2016 तक विभागध्यक्ष द्वारा संकलन कर प्रशासनिक विभाग को बजट ऑन लाईन प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2016 से बजट को ऑन लाईन वित्त विभाग (वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग) को प्रेषित करेगा। दिनांक 17 जनवरी, 2016 तक वित्त नियंत्रण अनुभाग बजट को ऑन लाईन बजट प्रेषित करेगा। दिनांक 18 जनवरी, 2016 से 28 जनवरी, 2016 तक प्रशासनिक विभागों से वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक प्रस्ताव की समीक्षा सचिव, वित्त के स्तर पर की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ विभागों को ससमय बजट ऑन लाईन वित्त विभाग / बजट को प्रेषित करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय

(श्रीधर बाबू अर्दवांकी)  
अपर सचिव, वित्त

संख्या 184 / बजट / 2015, तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ वित्त अनुभागों को ऑन लाईन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के संज्ञानार्थ।

(मनीष कुमार उप्रेती)  
बजट अधिकारी